



Neutral Citation No.-2026:AHC:60700

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 9991 वर्ष 2026

कमलेश

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... प्रत्यर्थी(गण)

आवेदक(कों) के अधिवक्ता : सृजन पांडे

प्रत्यर्थी(यों) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 67

माननीय न्यायमूर्ति अरूण कुमार सिंह देशवाल

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री सृजन पांडे, राज्य के विद्वान ए.जी.ए. श्री रोशन कुमार सिंह, को सुना और अभिलेखों का परिशीलन किया ।
2. वर्तमान जमानत आवेदन मुकदमा अपराध संख्या 475/2025 में धारा 80(2), 85 बीएनएस और धारा 3/4 डीपी एक्ट के तहत, जो थाना कांधला, जिला शामली में पंजीकृत है, परीक्षण के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है ।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार, मृतका आशा ने आवेदक, जो उसकी सास है, के साथ-साथ अन्य आरोपियों द्वारा लगातार उत्पीड़न के कारण आत्महत्या कर ली थी। जांच के दौरान मनीषा (आवेदक की बेटी) का नाम हटा दिया गया था।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क यह है कि आवेदक एक निर्दोष व्यक्ति है और उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि एफआईआर और प्रथम शिकायतकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों के बयान में आवेदक या अन्य आरोपियों द्वारा दहेज की मांग करने की कोई तिथि और समय नहीं बताया गया है। उन्होंने आगे यह प्रस्तुत किया कि बबली @ रमेश, जो आवेदक का पड़ोसी और प्रथम शिकायतकर्ता का रिश्तेदार हैं, ने अपने बयान में स्पष्ट रूप से कहा कि दहेज की मांग का कोई मुद्दा नहीं था और कभी-कभी मृतका और आकाश (पति) के बीच झगड़ा होता था। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह पता चले कि मृत्यु से कुछ समय पहले, मृतका आशा को दहेज की मांग के संबंध में किसी प्रकार की क्रूरता किया गया था, उसने खुद आवेदक और उसके बेटे के साथ घरेलू कामकाज को लेकर छोटी-छोटी समस्याओं के कारण आत्महत्या कर ली थी। इसलिए, आवेदक ने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक 16.12.2025 से जेल में है। उन्होंने आगे कहा कि पुलिस द्वारा आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है, इसलिए हिरासत में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और परीक्षण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

5. इसके विपरीत, विद्वान एजीए ने जमानत याचिकाका पुरजोर विरोध किया है, लेकिन उपरोक्त तथ्यों पर विवाद नहीं कर सके।

6. मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता की प्रस्तुतियों और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक एक महिला है और अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्तों की संलिप्तता को भी ध्यान में रखते हुए और जेलों में



अत्यधिक भीड़ और विचारण न्यायालय के समक्ष आपराधिक मामलों के बहुत ज्यादा लंबित होने को ध्यान में रखते हुए और साथ ही **कपिल वधावन बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038** में प्रतिवेदित, मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आदेश पर विचार करते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरी राय है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने की हकदार है। तदनुसार, जमानत आवेदन **स्वीकृत** किया जाता है।

7. उपरोक्त अपराध में शामिल आवेदक- **कमलेश** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत अनुबंध और उतनी ही राशि में दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए :-

1. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने से रोका जा सके।

2. आवेदक किसी भी स्थगन की मांग किए बिना परीक्षण/जांच में ईमानदारी से सहयोग करेगा।

3. जमानत पर रिहा होने के बाद आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा या कोई अपराध नहीं करेगा ।

4. आवेदक को उसके द्वारा निष्पादित अनुबंध की शर्तों के अनुसार उपस्थित होना होगा।

8. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

9. अनुबंध स्वीकार करने से पहले आवेदक और जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किए गए और संबंधित अधिवक्ता द्वारा सत्यापित इस आदेश की कंप्यूटर-जनित प्रति के आधार पर रिहा किया जाएगा, साथ ही यह वचन भी दिया जाएगा कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर दाखिल कर दी जाएगी।

11. यह भी निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई का आदेश भेजेगा।

12. उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जमानत देने संबंधित नीतिगत रणनीति, संदर्भ:स्वप्रेरणा रिट याचिका (सीआरएल) संख्या 4/2021 के संबंध में दिनांक 31.01.2023 को दिए गए निर्णय (2024) 10 एससीसी 685 में प्रकाशित आदेश के अनुसार, कार्यालय को संबंधित जेल अधीक्षक के माध्यम से ई-मेल या ई-जेल पोर्टल के जरिए आवेदक को इस आदेश की एक प्रति भेजने का निर्देश दिया जाता है।

(अरूण कुमार सिंह देशवाल, न्यायमूर्ति)

मार्च 24, 2026

सीएस/-